	कार्यालय नगर निगम हैरिटेज जयपुर **(जलेबी चौक, पुराना पुलिस मुख्यालय भवन, जयपुर)**	150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

हैरिटैज निगम के 32 अधिकारी 24 अप्रेल को अन्नपूर्णा रसोइयों का करेगें निरीक्षण

रात्रि 9 बजे तक अतिरिक्त आयुक्त को करेंगे रिपोर्ट प्रस्तुत

नगर निगम जयपुर हैरिटेज क्षेत्र में संचालित अन्नपूर्णा रसोइयों का संचालन ओर बेहतर तरीके से हो सके यह सुनिश्चिति करने के लिये 24 अप्रेल को निगम के 32 अधिकारी रसोईयों का निरीक्षण कर रिपोर्ट रात्रि 9 बजे तक देगें ।

आयुक्त श्री अभिषेक सुराणा के निर्देश पर अतिरिक्त आयुक्त मुख्यालय सुश्री रौनक बैरागी ने आदेश जारी कर अधिकारियों को निरीक्षण के लिये पाबंद किया है ।

अतिरिक्त आयुक्त सुश्री रौनक बैरागी ने बताया कि निरीक्षण के अंतर्गत सभी अधिकारी शहरी स्थानीय निकाय का नाम, रसोई नंबर, निरीक्षण की दिनांक एवं समय, निरीक्षण की तिथि/ समय पर लाभार्थियों की कुल संख्या, निरीक्षण के दौरान लाभार्थियों से ली जा रही राशि, निरीक्षण के दौरान दिये जा रहे भोजन का विवरण (लंच/डिनर), मैन्यू का विवरण, चपातियों की संख्या, क्या चपाती तीन सौ ग्राम के अनुरूप दी जा रही है (तोल कर अंकित करें), क्या चपातियाँ गर्म है एवं लाभार्थियों को पसंद आ रही है (हाँ/नहीं), भोजन गर्म परोसा जा रहा है या नहीं, भोजन सर्व करने वाला रसोई का कार्मिक टोपी, ड्रेस, ग्लप्स, एल्बस, एप्रीन इत्यादि पहने हुये है या नहीं, कोरोना गाईडलाईन का पालन किया जा रहा है या नहीं, लाभार्थी हेतु भोजन करने के लिये बैंच एवं बैठने की व्यवस्था है या नहीं, पीने के पानी की व्यवस्था है या नहीं, खाने के बाद बर्तन सही ढंग से धोये जा रहे है या नहीं, टोल फ्री प्रभारी अधिकारी के मोबाईल नंबर बोर्ड पर प्रदर्शित है या नहीं, भोजन प्रयोजन का बोर्ड प्रदर्शित हैं या नहीं, सब्जी एवं चपाती वार्मर है या नहीं, रसोई के अन्दर फलेक्स प्रदर्शित हैं या नहीं, रसोई के आस–पास एवं अन्दर साफ–सफाई के संबंध में विवरण, झूठन भोजन एवं उसके समुचित निस्तारण के संबंध में टिप्पणी, साफ–सफाई एवं खाने की गुणवत्ता के संबंध में विवरण, योजना के सफल संचालन हेतु सुझाव, क्या ऑपरेटर द्वारा लाभार्थियों की सही प्रविष्टि की जा रही है, क्या लाभार्थियों के मोबाईल नबंर कम्प्यूटर ऑपरेटर द्वारा अंकित किये जा रहे है, क्या रसोई में नगरीय विकास द्वारा प्रमाणित हस्ताक्षरित निरीक्षण रजिस्टर संधारित किया जा रहा है और आपने रसोई रजिस्टर में अपनी प्रविष्टि की हैं, क्या लाभार्थियों को पीने के लिये पानी उपलब्ध कराया जा रहा हैं, रसोई संचालक को रसोई संचालन के संबंध में निरीक्षणकर्ता द्वारा क्या निर्देश दिये, क्या आपने कम्प्यूटर पर लाभार्थियों की प्रविष्टि जाँच की, वर्तमान में संचालित रसोई के भवन की स्थिति आदि समस्त बिन्दुओं पर रिपोर्ट मांगी है ।